न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 79/2016/ जिला–नागौर (2016/00247)

1. शमीम बानो पत्नी सुलेमान
2. शबनम पुत्री सुलेमान नाबालिग जरिये कुदरती वली माता शमीम बानो
   दोनों जाति कायमखानी निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर।

———अपीलांट्स

बनाम

1. जोरावर खां पुत्र जीतू खां
2. युसुफ खां पुत्र जीतू खां
3. जेतुन बानो पत्नी जीतू खां
4. साहिद पुत्र स्व0 सत्तार खां (नाबालिग)
5. सुहाना पुत्री स्व0 सत्तार खां (नाबालिग)
   नाबालिग जरिये कुदरती वलिया दादी जेतुन बानो पत्नी जीतू खां समस्त जाति कायमखानी निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर।
   समस्त जाति दर्जी निवासी बिदियाद तहसील परबतसर जिला नागौर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, डीडवाना जिला नागौर।

————रेस्पोन्डेन्ट्स

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय अति0 जिला कलक्टर, डीडवाना (नागौर) दिनांक 18–07–2016
अपील संख्या 36/2014 बउनवानी श्री सुलेमान बनाम जोरावर खां व अन्य

———

उपस्थित– 1. श्री समीर अहमद, हेमराज गुप्ता अभिभाषकगण, अपीलांट्स
2. श्री ओ0पी0 भट्ट अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1

निर्णय

दिनांकः– 25–4–2018

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के पति व पिता सुलेमान पुत्र कासम खां द्वारा तहसीलदार, डीडवाना द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 22 दिनांक 17–4–1970 के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना के समक्ष अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 499, 503, 505, 367 वाके ग्राम दौलतपुरा अपीलांट के पूर्वजों के

खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात है। अपीलांट का बड़ा भाई सकरू खां उर्फ शकुर खां के नाम उक्त भूमि बड़ा भाई होने से राजस्व रेकार्ड में अकेले के नाम दर्ज हो गई। सकरू खां विवाहित थे परन्तु उनके कोई संतान नहीं थी। रेस्पोन्डेन्ट के पिता जीतू खां पुत्र करीम ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर फर्जी रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज संख्या 428 दिनांक 8–5–1968 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 22 दिनांक 17–4–1970 तस्दीक करवा लिया जबकि अपीलांट के बड़े भाई सकरू ने विवादग्रस्त आराजियात का कभी कोई बेचान नहीं किये जाने से तहसीलदार, डीडवाना द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 22 दिनांक 17–4–1970 अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। तत्पश्चात रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना के समक्ष धारा–5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–7–2016 द्वारा अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होने एवं अपील लिमिटेशन से बाहर होने के आधार पर अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना द्वारा खारिज कर दी गई जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोन्डेन्ट द्वारा पूर्व में ही प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भिक आपत्ति धारा–5 मियाद अधिनियम के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 5–8–2015 द्वारा यह आदेश पारित कियाकि प्रकरण के निस्तारण हेतु 31–5–1968 को जो भी विक्रय पत्र उपपंजीयक कार्यालय डीडवाना में निष्पादित किये गये उन सभी की प्रमाणित प्रतियां अपीलांट अभिभाषक प्रस्तुत करें जिससे प्रकरण को पूर्ण सुनवाई के पश्चात मेरिट पर निस्तारित किया जा सके। तत्पश्चात अपील में मियाद के बिन्दु पर सुनवाई किया जाना एवं मियाद के आधार पर अपील को मियाद बाहर मानकर खारिज किये जाने में अधिनस्थ न्यायलय ने अवैधानिक कृत्य किया है क्योंकि जब एक बार उक्त बिन्दु निर्णित किया जा चुका था तो पुनः इसी बिन्दु पर निर्णय पारित करना विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अपीलांट द्वारा पूर्व में अपील में स्पष्ट अंकित किया गया था कि विवादग्रस्त आराजियात अपीलांट की पुश्तैनी उसके पिता व दादा की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात है तथा अपीलांट के बड़े भाई सकरू उर्फ शकुर खां के नाऔलाद फौत हो जाने की स्थिति में अपीलांट ही विवादग्रस्त आराजियात का एक मात्र मालिक है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को फर्जी तौर पर तस्दीक कराये गये नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि रेस्पोन्डेन्ट के पिता व पति जीतू खां पुत्र करीम खां ने फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 22 दिनांक 17–4–1970 तहसीलदार, डीडवाना से तस्दीक कराया है जो प्रथम दृष्टया अवैधानिक व शून्य होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को गुणावगुण पर देखे बिना अपीलााधीन निर्णय पारित किया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रथम दृष्टया ही अवैधनिक व शून्य आदेशों को चुनौती देने की कोई समयावधि निर्धारित नहीं है ऐसे आदेशों को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुति अपील को मियाद बाहर मानते हुए खारिज करने में भारी भूल की है।

उनका यह भी तर्क है अधिनस्थ न्यायालय को अपीलांट की अपील को गुणावगुण पर निर्णित की जानी चाहिए तथा मियाद बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाना चाहिए। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय भू–राजस्व अधिनियम की धारा 80 के प्रावधानों के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय ने तहत न्यायालय का अभिलेख तलब किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत अपील में अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किये बिना प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं किया जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों का अवलोकन किये बिना न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किये बिना सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायलय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–7–2016 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलांट अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट्स के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट ने यह अपील 45 वर्ष बाद पेश की जिसके लिए अपीलांट ने देरी का कोई भी स्पष्टीकरण अपनी अपील में नहीं दिया है जबकि देरी से प्रस्तुत अपील में दिन प्रतिदिन का हिसाब देना चाहिए। अपीलांट सुलेमान खां की मृत्यु दिनांक 29–8–2015 को हो जाने से उनके वारिसान को रेकार्ड पर लाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके जवाब में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा बताया गया कि सुलेमान खां अपीलांट कासम खां का उत्तराधिकारी नहीं है तथा न ही शकूर खां का भाई है। ऐसा कोई रेकार्ड पत्रावली पर नहीं है जिससे यह साबित होकि शकूर खां का भाई सुलेमान हो तथा दौलतपुरा का निवासी हो। इसलिए दोनों को ही पक्षकार बनाने का काई औचित्य ही नहीं है। अपीलांट ने स्वयं अपनी अपील के पैरा संख्या 1 में स्वीकार किया है कि शकूर खां के काई भी सन्तान उत्पन्न नहीं हुई तथा विवाहित जरूर थे। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18–7–2016 को अपील का मेरिट पर निस्तारण करके यह आदेश दिया कि उक्त अपील नामान्तरकरण संख्या 22 ग्राम दौलतपुरा के दिनांक 17–4–1970 स्वीकृत होने के करीब 44 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है जिसका कोई युक्तियुक्त कारण नहीं दर्शाया गया है। साथ ही शकूर खां

पुत्र कासम खां के विधिक उत्तराधिकारी मौजूद होने के बावजूद अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने का अधिकार भी नहीं है। उक्त अपील लिमिटेशन से बाहर होने तथा अपीलांट के अपील प्रस्तुत करने के अधिकार के अभाव में खारिज की जाती है।

उनका यह भी तर्क है कि दिनांक 20–7–2005 को अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के समक्ष एक वाद घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा का किया गया जो दिनांक 23–12–2011 को खारिज किया गया जिसके विरूद्ध आज तक किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की गई है। अपीलांट ने रेस्पोन्डेन्ट को परेशान करने के लिए ही अपील पेश की है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना ने उक्त वाद की मद संख्या 4 में स्वीकार किया है कि शकूर खां नाबालिग था और करीम खां व जीतू खां ने चालाकी पूर्वक अंगुष्ठ निशान आदि शकूर खां के लगवा लिये। यदि यह मान भी लिया जावे कि शकूर खां की ओर से बेचान निष्पादित सही किया गया तो भी उक्त भूमि पैतृक होने के कारण वादी सुलेमान (अपीलांट) का शकूर खां के बराबर का हक था। इस प्रकार अपीलांट स्वयं ही उक्त बेचान को सही मान रहा है। जब अपीलांट स्वयं ही उक्त रजिस्टर्ड बेचान शकूर खां के द्वारा किया हुआ मान रहा है तो उक्त अपील को करने का स्वतः ही औचित्य खत्म हो जाता है। जब उक्त रजिस्ट्री बेचान सही बता रहे तो केवल मात्र रजिस्ट्री निरस्त करने का ही दावा किया जा सकता है वो भी केवल उत्तराधिकारी ही दावा पेश कर सकते है जिसकी सुनवाई सिविल कोर्ट में ही हो सकती है किसी राजस्व न्यायालय को कोई वाद या अपील सुनने का अधिकार नहीं है। उक्त सम्पत्ति शकूर खां की स्वअर्जित थी इसलिए शकूर खां को उक्त सम्पत्ति बेचने का पूर्ण अधिकार था।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलांट को उक्त अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं था। अपीलांट ने अपील की मद संख्या 1 में यह स्वीकार किया है कि शकूर खां विवाहित थे तथा उनके काई सन्तान नहीं थी। जब सकूर खां विवाहित था तो किसी भी अजनबी व्यक्ति को अपील प्रस्तुत करने का कोई भी अधिकार नहीं है। केवल मात्र उत्तराधिकारी ही किसी व्यक्ति के खिलाफ दावा या अपील पेश कर सकते है। अपीलांट शकूर खां का भाई नहीं है अपीलांट केवल मात्र पिता का नाम एक होने से न्यायालय के साथ धोखा देकर अनुतोष प्राप्त करना चाहता है। अपीलांट के द्वारा ऐसा काई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि वह शकूर खां का भाई हो और दौजलतपुरा का निवासी हो। अपीलांट के द्वारा पंचायत के द्वारा वंशावली प्रमाण पत्र लिखवाकर गलत पेश किया है जो किसी भी पंचायत के रेकार्ड के बिना जारी किया गया है। ग्राम पंचायत दौलतपुरा में ऐसा कोई भी रेकार्ड नहीं है जिससे यह साबित हो कि अपीलांट सुलेमान शकूर खां का भाई हो। पत्रावली पर उपलब्ध भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र के अनुसार सुलेमान खां पुत्र कासम खां की जन्म दिनांक वर्ष 1953 बताया है तथा उसका पता रेल्वे कॉलोनी मारवाड़ जक्शन जिला पाली बताया गया है उक्त पहचान पत्र दिनांक 7–6–2008 को जारी किया गया है।

उत्तरी पश्चिम रेल्वे के सेवानिवृत कर्मचारियों के अनुसार घोषणा पत्र में अपीलांट सुलेमान ने अपनी सेवा निवृति तिथि 31–5–2014 बताई है और उसका परिवार के सदस्यों में स्वयं सुलेमान की जन्म तिथि 22–5–54 दर्शाई गई है तथा उसके द्वारा अपने स्थाई पता सुलेमान पुत्र कासम खां निवासी माता बारोद बड़ला के सामने वाली गली, पासर हाउस के पास मकराना जिला नागौर दर्शाया गया है। दिनांक 24–10–2015 को अंकित नामांकन संख्या 2036/72002/10341 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आधार कार्ड में भी पता रेल्वे कॉलोनी मारवाड़ जंक्शन जिला पाली दर्शाया गया है। कार्यालय तहसीलदार (रसद) मारवाड़ जक्शन के समर्पण पत्र क्रमांक 1219 दिनांक 25 फरवरी 2014 के अनुसार मकराना के राशन कार्ड बनाने हेतु अपीलांट सुलेमान का राशन कार्ड निरस्त किया गया। उक्त राशन कार्ड में 2001 में अपीलांट की उम्र 35 वर्ष बताई गई है। अपीलांट सुलेमान पुत्र कासम खां ने अपने मुख्त्यारनामा दिनांक 5–5–2011 के पैरा संख्या 1 में यह स्वीकार किया गया है कि मेरा भाई शकूर खां जो रेल्वे में नौकरी करता था उसका इन्तकाल हो गया जिसकी उत्तराधिकारी उसकी पत्नी शमीम बानों उसका गोदी पुत्र अब्दुल रहीस है। अपीलांट द्वारा पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे जाहिर हो कि शमीम बानो व उसका गोदी पुत्र जीवित होते हुए भी अपीलांट सुलेमान पुत्र कासम खां को अपील प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार प्राप्त था।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलांट ने उक्त अपील में यह कहीं भी नहीं बताया कि उक्त शकूर खां की मृत्यु किस तारीख को हुई थी तथा ना ही शकूर खां का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है। इस कारण भी उक्त अपील संदेहास्पद हो जाती है । अपीलांट द्वारा गलत पक्षकार बनकर अपील पेश की है जिसका इन्हें कोई भी विधिक अधिकार नहीं है। इस प्रकार अपीलांट को अपील पेश करने की लोकस स्टेण्डाई ही नहीं है। अपीलांट द्वारा 45 वर्ष पश्चात अपील पेश की इस अत्यधिक विलम्ब से अपील पेश करने का कोई भी कारण नहीं बताया गया है। अपीलांट ने केवल मात्र यही लिखकर इतिश्री कर ली कि अपील अन्दर मियाद है तथा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायलय व राजस्व मण्डल अजमेर के अपील प्रस्तुती में हुई देरी के लिए व इसके समर्थन में निम्न कानूनी नजीरे पेश की है जो इस प्रकार हैः–

डीएनजे 2016 पेज 95, डी.एन.जे. 2016 (1) पेज 201, डी.एन.जे. 2015 पेज 272, आर.आर.टी 2015 (2) पेज 1425, आर.आर.टी 2015 (1) पेज 168, आर.आर. टी 2014–2015 (SUPP.) पेज 441, आर.आर.टी 2014–2015 (SUPP.) पेज 709, डी.एन.जे. 2015 पेज 91, डी.एन.जे. 2014 (3) पेज 1132, डी.एन.जे. 2014(S.C.) पेज 310, आर.आर.टी 2014 (1) पेज 325, डी.एन.जे. 2014 पेज 307, डी.एन.जे. 2013 (S.C.) पेज 829, आर.आर.टी 2013 (2) पेज 1252, आर.आर.टी 2013 (1) पेज 125, आर.आर.टी 2013 (1) पेज 61, आर.आर.टी 2013 (1) पेज 83, आर.बी. जे. 2012 पेज 113, आर.आर.डी. 2011 पेज 207, डी.एन.जे. 2010 (1) पेज 400,

आर.बी.जे. 2009 पेज 208, आर.बी.जे. 2009 पेज 786, आर.आर.टी 2009 (2) पेज 797, डी.एन.जे. 2009 (1) पेज 215, आर.बी.जे. 2008 पेज 674, आर.बी.जे. (15) 2008 पेज 526, आर.आर.डी. 2008 पेज 322, आर.बी.जे. 2007 पेज 10, आर.बी.जे. 2007 पेज 438, आर.आर.टी. 2006 (2) पेज 1171, आर.बी.जे. 2006 पेज 78, आर. बी.जे. (12) 2005 पेज 735, डी.एन.जे. 2002 (3) पेज 1252, डी.एन.जे. 2001 पेज 204, डी.एन.जे. 1998 पेज 767, डी.एन.जे. 1998 पेज 678, डी.एन.जे. 1996 पेज 62, आर.आर.डी. 1984 पेज 442, आर.आर.डी. 1984 पेज 441 प्रस्तुत कर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए कथन किया कि अपीलांट शकूर खां के विधिक वारिसान नहीं होने के कारण तथा बिना किसी आधार के तथा 45 वर्ष पश्चात उक्त अपील लिमिटेशन से बाहर होने के कारण पेश की जाने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की लिखित बहस एवं मौखिक बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार डीडवाना द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 22 दिनांक 17–4–1970 ग्राम दौलत पुरा विक्रय पत्र 428 दिनांक 31–5–1968 के आधार पर भरा गया है जो कि उक्त विक्रय पत्र ग्राम निम्बीखुर्द के बालूराम पुत्र गोपीराम बलाई के नाम से है। साथ ही रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा कथन किया गया कि उक्त नामान्तरकरण 428 के आधार पर नहीं भरा जाकर 438 के आधार पर भरा गया है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र संख्या 438 की छाया प्रति का अवलोकन किया उक्त विक्रय पत्र पन्ने सिंह पुत्र श्री राम सिंह राजपूत साकिन बमोट के हक में दिनांक 27–12–68 को निष्पादित किया गया हैं इस प्रकार दोनों ही विक्रय पत्र इस प्रकरण में पारित किये गये नामान्तरकरण से मेल नहीं खाते है। अपीलांट के द्वारा ऐसा कोई भी रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि सुलेमान अपीलांट दौलतपुरा का निवासी हो तथा शकूर खां का भाई हो। ग्राम पंचायत दौलतपुरा की वंशावली प्रमाण पत्र झूठा लेकर पेश किया गया है। उक्त दस्तावेजात को साबित किया जाना आवश्यक है उक्त वंशावली राशनकार्ड, एवं निर्वाचन नामावली में भी दर्शित नहीं है। अपीलांट ने यह भी स्वीकार किया है कि सकरू खां के कोई सन्तान उत्पन्न नहीं हुई थी तथा विवाहित थे। अपीलांट सुलेमान पुत्र कासम खां ने अपने मुख्त्यार नामा दिनांक 5–5–2011 के पैरा संख्या 1 में यह स्वीकार किया है कि मेरा भाई सकूर खा जो रेल्वे में नौकरी करता था, उसका इन्तकाल हो गया जिसकी उत्तराधिकारी उसकी पत्नी शमीम बानो उसका गोदी पुत्र अब्दुल रहीस है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह जाहिर हो कि शकूर खां पुत्र कासम खां की पत्नी समीम बानो व उसका गोदी पुत्र अब्दुल रहीस जीवित होते हुए भी बावजूद अपीलांट सुलेमान पुत्र कासम खां को अपील प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार प्राप्त था। नामान्तरकरण संख्या 22 दिनांक 17–4–1970 भी फर्जी विक्रय पत्रों के आधार पर तस्दीक किया जाना प्रतीत होता है। विवादग्रस्त आराजियात सकरू उर्फ शकूर खां के नाम थी। सकूर खां ने विवादग्रस्त आराजियात का बेचान कभी

भी रेस्पोन्डेन्ट के पिता को नहीं किया न ही इस संबंध में कोई दस्तावेजात ही उपलब्ध है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र संख्या 428 दिनांक 31–5–1968 ग्राम निम्बीखुर्द के बालूराम पुत्र गोपीराम बलाई के नाम एवं द्वितीय विक्रय पत्र संख्या 438 पन्ने सिंह पुत्र श्री राम सिंह राजपूत साकिन बमोट के हक में दिनांक 27–12–68 को निष्पादित किया गया हैं इस प्रकार दोनों ही विक्रय पत्र इस प्रकरण में पारित किये गये नामान्तरकरण से मेल नहीं खाते है इससे उक्त विवादग्रस्त नामान्तरकरण सन्देहास्पद प्रतीत होता है। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फिस्कल प्रोसिंडिंग है जिसमें यह तय किया जाता है कि विवादित भूमि का लगान किससे लिया जावे नामान्तरकरण विवादित भूमि में कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं करता है। नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में वसीयत, गोद, उत्तराधिकार के जटिल विवाधक का विनिश्चय करना संभव नहीं होता है। दोनों ही पक्षकार अर्थात अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण विवादित आराजियात पर अपने हक एवं स्वामित्व को साबित करने में पूर्णतया विफल रहे है। इससे यह स्पष्ट है कि इस नामान्तरकरण की अपील में उन्हें कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। उक्त स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय (अतिरिक्त जिला कलक्टर) डीडवाना का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–7–2016 विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना) का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–7–2016 अन्तर्गत अपील संख्या 36/2014 बउनवान सुलेमान बनाम जोरावर खां व अन्य एवं तहसीलदार डीडवाना द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 22 दिनांक 17–4–1970 (मौजा दौलतपुरा) विधिविरूद्ध होने से अपास्त किये जाते है तथा प्रकरण तहसीलदार, डीडवाना को प्रतिप्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजियात/खेताय दौलतपुरा बाबत कासम खां के विधिक वारिसान की जांच एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जिसके आधार पर विवादित नामान्तरकरण संख्या 22 दिनांक 17–4–1970 (मौजा दौलतपुरा) पारित किया गया था, की जांच कर नये सिरे से विधिसम्मत नामान्तरकरण संबंधी कार्यवाही करे।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर